छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 223, 254, 634, 642, 827, 222, 463, 641, 464, 225, 256, 252, एवं 824, 1073, 1074, 640, 635, 515, 514, 639, 825/2007

1. **प्रो0 हरीश कुमार एवं,** - *अपीलार्थीगण*
श्रीमती अंशु सिंह,
एम0आई0जी0, स्टैंडर्ड-2,
लक्ष्मी निवास, शिवघाट, सरकंडा,
जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 24 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलाार्थीगण द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से वर्तमान आदेश के अधीन 21 प्रकरणों में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन लगाये गये थे, जिनकी जानकारी प्राप्त नही होने अथवा अपूर्ण होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, प्रथम अपील में निर्णय नही दिये जाने एवं अपीलें निरस्त कर देने के कारण आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अंतिम पेशी पर अपीलार्थीगण अनुपस्थित थे, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रतिअपीलार्थी एवं तृतीय पक्ष की सुनवाई की गई । इन प्रकरणों में अपीलार्थीगण द्वारा काफी विस्तृत जानकारियॉं प्रति अपीलार्थी से मॉंगी गई है और उनमें से अधिकांश जानकारियॉं उन्हें दी भी जा चुकी है, जो इन अपीलों से संबंधित प्रकरणों अथवा इनसे पूर्व में प्राप्त हुये अनेक अपीलों में भी दी गई है । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी, किन्तु दिनांक 01.10.2007 के आदेश द्वारा उनकी प्रारंभिक आपत्ति निरस्त करके प्रकरण में अगली सुनवाई की गई थी । एक अन्य प्रकरण में दिये गये आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय से प्रति अपीलार्थीगण ने उस प्रकरण में दिये गये आदेश पर स्थगन प्राप्त किया था, किन्तु अन्य कोई सामान्य स्थगन आयोग के कार्य पर उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया, अतः इस सभी अपील प्रकरणों में आयोग द्वारा सुनवाई जारी रखी गई । प्रकरण में दिनांक

01.10.2007 को यह आदेश दिये गये थे कि विश्वविद्यालय के कुलपति यह सुनिश्चित करे कि चूंकि काफी संख्या में आवेदन प्राप्त है, अत: एक सप्ताह तक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलार्थी दोनों को सभी कार्यो से मुक्त रखा जावे और उनसे संबंधित सभी दस्तावेजों का अवलोकन कराया जावे और जो दस्तावेज नही दिये गये हैं वह सभी दस्तावेज उपलब्ध कराया जावे तथा जिन दस्तावेजों में नियमों, प्रश्न अथवा अभिमत माँगा गया है, उनसे जानकारी देने का प्रश्न उपस्थित नही होता है । तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा यह भी बताया गया कि अनेक जानकारियाँ अपीलार्थी के स्वयं के कब्जे में है और उनके द्वारा शेष रही जानकारियाँ की सूची माँगी गई है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा वह सूची प्रस्तुत नही की गई है । अपीलार्थीगण द्वारा भारी संख्या में दिये गये आवेदनों के कारण यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण स्वयं भी भ्रमित है, चूंकि प्रकरण में अधिकांश जानकारियाँ उन्हें दी जा चुकी है, अत: वे स्वयं भी यह बताने में समर्थ नही है कि उन्हें और कौन सी जानकारियाँ देना शेष है ।

3/ प्रकरण में जहाँ तक तृतीय पक्ष के संबंध में जानकारी का प्रश्न है, इस संबंध में तृतीय पक्ष के पक्षकार डॉ0 एस0बी0एस0 चौहान, डॉ0 एस0पी0 पटेरिया, श्री अब्दुल वाहब, डॉ0 योगेश गुप्ता तथा डॉ0 बाबीब्रम्हे पाण्डे को भी सुना गया । अपीलार्थीगण द्वारा जो जानकारियाँ चाही गई है, यदि उनका संबंध तृतीय पक्ष से संबंधित पूर्णत: व्यक्तिगत जानकारी से है तो अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त है, किन्तु काफी जानकारियाँ तृतीय पक्ष से संबंधित कार्यालयीन रिकार्ड से है और वह शासकीय रिकार्ड से संबंधित है तो वह जानकारी दिये जाने में कोई आपत्ति नही है । प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी डॉ0 हरीश कुमार के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई जांच और कार्यवाही से अंसतुष्ट होकर अपीलार्थीगण विश्वविद्यालय को परेशान करने की नियत से ही यह सब आवेदन दे रहे हैं और एक प्रकार से इसे सूचना का अधिकार के दुरूपयोग की श्रेणी में भी मान्य किया जा सकता है, किन्तु फिर भी नागरिक को सूचना का अधिकार के अन्तर्गत जो अधिकार प्राप्त है, उनका सम्मान विश्वविद्यालय को भी करना चाहिए, अत: पूर्ण विचारोपरान्त अब इस प्रकरण में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

''जन सूचना अधिकारी 15 दिवस में शेष रही समस्त जानकारी का निरीक्षण अपीलार्थीगण को बुलाकर उन्हें नि:शुल्क करावे, उसमें से जो भी जानकारी दी जाने योग्य हो, वह राशि 100/- रूपये तक की जानकारी उन्हें नि:शुल्क प्रदान की जावे तथा शेष जानकारी यदि वे चाहे तो उनसे शुल्क जमा करावे और सूची प्राप्त कर उन्हें दी जावे । प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थीगण को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्येक को राशि 1000/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।''

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त